न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर

अपील (प्रकरण) संख्या :– 39/2022 **जीसीएमएस नम्बर 2022/66**

उनवानी प्रकरण :–

नीतूसिंह पुत्री पृथ्वीसिंह चौहान जाति ठाकुर निवासी सरमथुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम गढाखोई ग्राम पंचायत सरमथुरा एफ.पी.एस. कोड 9666 -- अपीलान्ट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर ---------- रेस्पोडेन्ट।

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 6.9.2022 प्रकरण संख्या 31/2022
उनवानी सरकार बनाम नीतूसिंह, न्यायालय जिला रसद अधिकारी

उपस्थिति :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री हरिवीर सिंह एडवोकेट
रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री अनुभव पाराशन सहा0 लोक अभियोजक प्रथम

निर्णय **दिनांक 12.11.2024**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 06.09.2022 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि माननीय विधायक बसेडी द्वारा जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में किसी भी व्यक्ति द्वारा अपीलान्ट नीतूसिंह की शिकायत नहीं की गई। अपीलान्ट नीतूसिंह का भाई पत्रकार है जो विधायक एवं क्षेत्र की समस्त प्रतिनिधियों का समाचार प्रकाशित करता है। विधायक महोदय चाहते है कि वह मात्र उनके पक्ष का ही समाचार प्रकाशित करावे अन्य किसी के पक्ष का समाचार प्रकाशित नहीं करावे एवं उनके विरूद्व समाचार प्रकाशित नहीं करावे इसलिये विधायक महोदय द्वारा बिना किसी सोच बिचार के अपीलान्ट की दुकान की जॉच के लिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर को कह दिया जिस पर जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने पत्रांक रसद/अभि./2022/1101 दिनांक 4.4.2022 द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक तहसील सरमथुरा को जॉच के लिये आदेशित किया तब प्रवर्तन निरीक्षक ने विधायक के दवाव में बिना मौके पर जाये हुये पटवारी हल्का से तहसील कार्यालय में ही एक असत्य रिपोर्ट तैयार करा दी जिसके आधार पर रैस्पोडेन्ट ने बिना किसी विधिक प्रकिया के कार्यवाही करी दी। जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा अपीलान्ट को एक नोटिस सरमथुरा के पते

पर ही भेजा कि आपकी शादी सवाईमाधोपुर में हो चुकी है आप वही पर निवास करती है जिसका जबाव कार्यालय में उपस्थित होकर सात दिवस में प्रस्तुत करें। अपीलान्ट ने उक्त नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया कि मैं लगातार पिछले 16 वर्ष से व शादी के बाद भी समय पर उपस्थित उचित मूल्य दुकान पर सामग्री वितरण करती रहीं हूँ मैने आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का कोई उल्लधंन नहीं किया है एवं किसी भी उपभोक्ता को किसी भी प्रकार की आज तक कोई शिकायत मेरे विरूद्व नहीं हुई है। अपीलान्ट द्वारा जबाव प्रस्तुत करने के बाद कार्यालय जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा दिनांक 27.4.2022 को तहसील सरमथुरा एवं कार्यवाहक प्रवर्तन निरीक्षक को इस आशय का आदेश दिया कि आप पुनः मौका निरीक्षण कर यह स्पष्ट करें कि एफ.पी.एस. कोड 9666 की राशन सामग्री का बितरण प्रतिमाह किसके द्वारा किया जा रहा है विस्तृत जांच रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें ताकि पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही किया जा सके जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्र कमांक/रसद/एफ. पी.एस./2022/1304 दिनांक 27.4.2022 की जांच रिपोर्ट आने से पूर्व ही दिनांक 1.06. 2022 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया जो अवैधानिक है इस पर तहसील सरमथुरा/प्रवर्तन निरीक्षक ने बिधायक महोदय के दबाव में मौके पर ना जाकर तहसील कार्यलय में बैठकर बिना किसी उपभोक्ता या ग्राम वासियों से जांच किये गलत मौका रिपोर्ट दिनांक 31.08.2022 की तैयार करा इस रिपोर्ट में यह लिखा कि मौके पर जांच की गई पाया कि एफ.पी.एस. कोड 9666 डीलर नीतूसिंह की शादी लगभग 10 पूर्व ग्राम मोरपा तहसील बाबनवास जिला सवाईमाधोपुर में हो चुकी है तथा साथ ही नीतूसिंह मौके पर नहीं मिली असत्य लिखा है जबकि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 1.06.2022 को ही निलम्बित कर दिया गया था उसके बाद अपीलान्ट ने राशन बितरण कार्य बन्द कर दिया था और उसी दिन से उचित मूल्य की दुकान बन्द थी तब दिनांक 31.08.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक महोदय ने यह जानकारी कहां से प्राप्त कर ली कि नीतूसिंह का भाई एवं परिवारीजन राशन वितरण करते है लाईसेंस में ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी है कि एफ. पी.एस. डीलर की शादी होने पर राशन डीलर का लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा ऐसी स्थिति में मात्र यह लिखना कि राशन डीलर की शादी 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है इसलिए वह राशन वितरण नहीं कर सकती इस लिये प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाता है। अपीलान्ट के जबाव पर रैस्पोडेन्ट द्वारा कोई गौर ना कर दिनांक 6.9.2022 को विभागीय प्रकरण संख्या 31/2022 सरकार बनाम नीतूसिंह का निर्णय करते हुये उचित मूल्य दुकान कस्बा सरमथुरा का प्राधिकार पत्र संख्या 78/2006 निरस्त कर दिया ना हीं अपीलान्ट का बयान लिया गया एवं ना हीं किसी भी उपभोक्ता एवं ग्रामवासी का बयान लिया गया जो प्राकित न्याय के सिंद्वात एवं विधि विरूद्व है इस आधार पर राशन डीलर का लाईसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट के विरूद्व लिखी गई मौका रिपोर्ट कार्यालय में बैठ कर लिखी गई मौके पर कोई भी राजस्व कर्मचारी नहीं पहूँचा है मौका रिपोर्ट पर किसी भी व्यक्ति के मौके पर होने के हस्ताक्षर नहीं है। अतः निर्णय काबिल खारिजी है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 6.9.2022 निरस्त किये जाने एवं प्राधिकार पत्र को वहाल किये जाने की प्रार्थना की है।

न्यायालय जिला कलक्टर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेरपोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर अपील की पत्रावली के साथ संलग्न की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट नीतूसिंह का भाई पत्रकार है जो विधायक एवं क्षेत्र की समस्त प्रतिनिधियों का समाचार प्रकाशित करता है। विधायक महोदय के विरूद्व समाचार प्रकाशित नहीं करावे इसलिये विधायक महोदय द्वारा अपीलान्ट की दुकान की जॉच के लिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर को कह दिया जिस पर जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने प्रवर्तन निरीक्षक तहसील सरमथुरा को जॉच के लिये आदेशित किया तब प्रवर्तन निरीक्षक ने विधायक के दवाव में बिना मौके पर जाये हुये पटवारी हल्का से तहसील कार्यालय में ही अपीलान्ट के विरूद्व लिखी गई मौका रिपोर्ट कार्यालय में बैठ कर लिखी गई मौके पर कोई भी राजस्व कर्मचारी नहीं पहूँचा है मौका रिपोर्ट पर किसी भी व्यक्ति के मौके पर होने के हस्ताक्षर नहीं है। अपीलान्ट को जारी प्राधिकार पत्र में ऐसी कोई भी शर्त नहीं लिखी है कि एफ.पी.एस. डीलर की शादी होने पर राशन डीलर का लाईसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। ऐसी स्थिति में मात्र यह लिखना कि राशन डीलर की शादी 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है इसलिए वह राशन वितरण नहीं कर सकती। राशन डीलर के उपभोक्ताओं द्वारा यह लिख कर दिया है कि राशन वितरण के समय नीतूसिंह स्वंय उपस्थित रहकर राशन वितरण करती है जिनसे हमको आज तक कोई परेशानी नहीं है। एफपीएस डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 78/2006 निरस्त करने से पूर्व जॉच में ना हीं अपीलान्ट का बयान लिया गया एवं ना हीं किसी भी उपभोक्ता एवं ग्रामवासीयों का बयान लिया गया जो प्राकित न्याय के सिंद्वात एवं विधि विरूद्व है इस आधार पर राशन डीलर का लाईसेंस निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे एवं प्राधिकार पत्र को वहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस के दौरान अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुये कथन किया कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों ये स्पष्ट है कि राशन डीलर नीतूसिंह की शादी लगभग 10 वर्ष पूर्व ग्राम मोरपा तहसील वामनवास जिला सवाईमाधोपुर में हो चुकी है। शादी के बाद राशन वितरण का कार्य उसके परिवारीजनों द्वारा किया जाना पाया गया है। प्राधिकार पत्र की शर्तो के अनुसार जिसको उचित मूल्य दुकान का आवंटन किया गया है वही उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु प्राधिकृत है। रेस्पोडेण्ट द्वारा जारी आदेश दिनांक 06.09.2022 सही है इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.09.2022 यथावत रखा जावे ।

न्यायालय जिला कलक्टर

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 06.09.2022 के विरूद्ध पेश की है। जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने उक्त आदेश में अपीलान्ट नीतूसिंह उचित मूल्य दुकानदार कस्बा सरमथुरा (पॉश मशीन संख्या 9666) तहसील सरमथुरा का प्राधिकार पत्र इस आधार पर निरस्त किया है कि " **राशन डीलर नीतूसिंह की शादी लगभग 10 वर्ष पूर्व ग्राम मोरपा तहसील वामनवास जिला सवाईमाधोपुर में हो चुकी है, शादी के बाद राशन वितरण का कार्य उसके परिवारीजनों द्वारा किया जाना पाया गया। प्राधिकार पत्र की शर्तों के अनुसार जिसको उचित मूल्य दुकान का आवंटन किया गया है वही उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु प्राधिकृत है** " अपीलान्ट नीतूसिंह उचित मूल्य दुकानदार को जारी प्राधिकार पत्र संख्या 78/2006 का अवलोकन किया गया । प्राधिकार पत्र के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्राधिकार पत्र में ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं है जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी ने अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है। जिला रसद अधिकारी ने अपने आदेश में अपीलान्ट ने किस शर्त का उल्लांधन किया है उसका कोई उल्लेख आदेश में अंकित नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील, अपीलान्ट स्वीकार किया जाना एवं पत्रावली पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेंषित किया जाता उचित समझते हैं ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.09.2022 निरस्त किया जाता है। पत्रावली जिला रसद अधिकारी धौलपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर पुनः नियमान्तर्गत निर्णय पारित करें । निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ वापिस भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफत्र हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर